



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 21.10.2021

थाना कविनगर पुलिस द्वारा अपनी लाईसेंसी DBBL बंदूक से जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले अभियुक्त को लाईसेंसी बंदूक मय भारी मात्रा में खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1706/21 धारा 307/504 भादवि में वांछित अभियुक्त वेद प्रकाश शुक्ला पुत्र महेश चन्द निवासी बरनावा काँटा शाहजहाँपुर हाल पता लैण्ड क्राफ्ट लाल कुँआ थाना कविनगर गाजियाबाद को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 21.10.21 को एन एच 24 लाल कुँआ से समय करीब 03.00 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाईसेन्स DBBL राफल व 10 खोखा कारतूस व 8 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुई जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1707/21 धारा 27/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसके द्वारा मामूली कहां सुनी पर वादी मुकदमा श्री राजू पुत्र रोहताश निवासी लैण्ड क्राफ्ट लाल कुँआ पर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से अपनी लाईसेन्सी रायफल से फायरिंग की गयी, जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1706/21 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत कराया एवं थाना कविनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त वेद प्रकाश शुक्ला उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त लाईसेन्सी रायफल मय खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस के बरामद की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

वेद प्रकाश शुक्ला पुत्र महेश चन्द निवासी बरनावा काँटा शाहजहाँपुर हाल पता लैण्ड क्राफ्ट लाल कुँआ थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त लाईसेन्सी रायफल DBBL 12 बोर

10 खोखा कारतूस 12 बोर

8 जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वेद प्रकाश शुक्ला-

(1) मु0अ0सं0 1706/21 धारा 307/504 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

(2) मु0अ0सं0 1707/21 धारा 27/30 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



लोनी पुलिस द्वारा पशु (भैंस) काटकर मांस बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा पशु (भैंस) काटकर मांस बिक्री करने वाला 01 अभि० सलीम पुत्र शहाबुद्दीन नि० राशिद गेट कवेले के पीछे थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को 05 किलो ग्राम पशु (भैंस) मांस व मांस काटने व बेचने वाले यन्त्रो सहित इकराम नगर चौकी क्षेत्र करबा से दिनांक 21.10.2021 समय 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभि०-

सलीम पुत्र शहाबुद्दीन नि० राशिद गेट कवेले के पीछे थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

आपराधिक विवरण:-

मु०अ०सं०-1477/2021 धारा 429 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लोनी गा०बाद

बरामदगी का विवरण:

05 किलो ग्राम पशु (भैंस) मांस व मांस काटने व बेचने वाले यन्त्र।



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 03 शांतिर /वांछित अभियुक्त मय एक अदद मोबाईल व एक चाकू नाजायज व 122 ग्राम नशीला पाउडर नाजायज के गिरफ्तार

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र चन्द पन्त की टीम द्वारा दिनांक:- 20.10.2021 समय **23.45** बजे दौरान चैकिंग कासिम विहार



कट के पास से 03 वांछित अभियुक्तगण 1.फरद पुत्र सलाउददीन

निवासी-अल्फला मस्जिद के पास गली न0 1 खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र 19वर्ष 2.तनवीर पुत्र मेहरुददीन निवासी सोम बाजार मैन रोड कासिम विहार थाना ट्रोनिकासिटी गा0बाद उम्र 20 वर्ष 3.अनिल उर्फ पोचू पुत्र गोपाल पासवान नि0 किरायेदार गली न0 9 प्लाट न0 32 राजधानी एन्कलेव कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र 21 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0स0 709/21 धारा 380/411 भादवि के कब्जे से एक अदद मोबाईल वीवो चोरी का व अभियुक्त फरद के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज व अनिल उर्फ पोचू के कब्जे से 122 ग्राम नशीला पाउडर नाजायज के गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग घरों में घुसकर चोरी छुपे घर में रखे मोबाईल व अन्य सामान को चोरी कर लेते हैं तथा विरोध करने पर लोगो को चाकू दिखाकर डरा धमका देते हैं। तथा नशीला पाउडर बेचकर अपने शौक पूरे करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.फरद पुत्र सलाउददीन नि0 अल्फला मस्जिद के पास गली न0 1 खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र 19वर्ष

2.तनवीर पुत्र मेहरुददीन निवासी सोम बाजार मैन रोड कासिम विहार थाना ट्रोनिकासिटी गा0बाद उम्र 20 वर्ष

3.अनिल उर्फ पोचू पुत्र गोपाल पासवान नि0 किरायेदार गली न0 9 प्लाट न0 32 राजधानी एन्कलेव कासिम

विहार थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र 21 वर्ष **आपराधिक इतिहास अभियुक्त फरद पुत्र**

सलाउददीन , तनवीर पुत्र मेहरुददीन, अनिल उर्फ पोचू उपरोक्त -

1. मु0अ0स0-709/21 धारा 380/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद फरद आदि 03 नफर उपरोक्त।
2. मु0अ0स0-710/21 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद बनाम फरद उपरोक्त।
3. मु0अ0स0-711/21 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद बनाम अनिल उर्फ पोचू उपरोक्त।

बरामदगी का विवरण:- एक अदद मोबाईल वीवो मय चार्जर, एक अदद चाकू नाजायज, 122 ग्राम नशीला पाउडर नाजायज बरामद।

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 02 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ 02 तस्कर गिरफ्तार एवं कब्जे से एक अदद चोरी की स्कूटी न0 DL-6SAU-0621 बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 21.10.2021 को समय 11.30 बजे थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा ईदगाह के सामने महाराजपुर से मुखविर की सूचना पर अभियुक्त आमिर पुत्र गबरुद्दीन नि0 बडी मस्जिद के पास गाँव महाराजपुर थाना लिंक रोड गा0बाद व सोनू पंवार पुत्र कमरवीर नि0 प्रानगढ थाना सिकन्दराबाद जनपद बु0शहर को एक - एक किलो सौ सौ ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया व कब्जे से चोरी की एक अदद स्कूटी होण्डा एक्टिवा न0 DL-6SAU-0621 बरामद ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. आमिर पुत्र गबरुद्दीन नि0 बडी मस्जिद के पास गाँव महाराजपुर थाना लिंक रोड गा0बाद ।
2. सोनू पंवार पुत्र कमरवीर नि0 प्रानगढ थाना सिकन्दराबाद जनपद बु0शहर ।

बरामदगी का विवरण -

1. 02 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद
2. 01 अदद स्कूटी होण्डा एक्टिवा न0 DL-6SAU-0621

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 0632/2021 धारा 8/20 NDPS.ACT बनाम आमिर
2. मु0अ0सं0 0633/2021 धारा 8/20 NDPS.ACT बनाम सोनू पंवार
3. मु0अ0सं0 0634/2021 धारा 414 भादवि0 बनाम आमिर व सोनू पंवार



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से कुल 265 नाजायाज नशीली गोलिया अएलप्राजोलम बरामद होना

दिनांक 21.10.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री पवन कुमार के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार खारी की टीम द्वारा दिनांक: 21.10.2021 घटनास्थल चौधरी मोड बन्द पेट्रोल पम्प चौकी क्षेत्र किराना मण्डी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 02 नफर अभियुक्त शहजाद व राहुल पांचाल को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त शहजाद उपरोक्त के कब्जे से 125 नशीली गोलिया अएलप्राजोलम व अभियुक्त राहुल पांचाल उपरोक्त के कब्जे से 140 नशीली गोलिया अएलप्राजोलम कुल 265 नशीली गोलिया अएलप्राजोलम बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा मु0अ0सं0-971/2021 धारा 8/22 NDPS Act बनाम शहजाद व मु0अ0सं0-972/2021 धारा 8/22 NDPS Act बनाम राहुल पांचाल के विरुद्ध पंजीकृत है। अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकड़े गये अभियुक्तगण द्वारा बरामद अलप्राजोलम नशीली गोलियों के सम्बन्ध में बताया कि हम इन नशीली गोलियों को रेलवे स्टेशन के आस-पास पड़े नशेड़ी व्यक्तियों को नशीली गोलियाँ बेचकर मुनाफा कमाता हूँ।



नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-शहजाद पुत्र सज्जाद निवासी मसुनीता विहार सौ फुटा रोड थाना लोनी बोर्डर जिला 03-गली न0 10-0न0 गाजियाबाद उम्र करीब ,वर्ष 40
- 2-राहुल पंचाल पुत्र पप्पू पंचाल निवासी नाला रोड इन्दरापुरी संगम विहार थाना (संजय के मकान मे किरायेदार) वर्ष मूल निवासी ग्राम नानू ईकडी थाना सरधना जिला मेरठ 24 लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1. मु 22/8 धारा 2021/971 -0अ0सं0NDPS Act बनाम शहजाद थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. मु 22/8 धारा 2021/972 -0अ0सं0NDPS Act बनाम राहुल पांचाल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:- (1)अभियुक्त शहजाद उपरोक्त के कब्जे से 125 नशीली गोलिया अएल्प्राजोलम
(2) अभियुक्त राहुल पंचाल उपरोक्त के कब्जे से 140 नशीली गोलिया अएल्प्राजोलम ।

थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद

दिनांक 30.09.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री पवन कुमार के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार खारी की टीम द्वारा दिनांक: 19.10.2021 समय 21.40 बजे व घटनास्थल –नगर निगम गेट के सामने कवाडी वाली गली चौकी क्षेत्र कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त नसीम उर्फ खिचरा पुत्र नसरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-970/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नसीम उर्फ खिचरा के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-
निल ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

नसीम उर्फ खिचरा पुत्र नसरुद्दीन निवासी मोती मस्जिद के पीछे कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गा0बाद उम्र 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1. मु0अ0सं0-970/धारा 4 2021/आर्म्स एक्ट 25 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:- 1. 01 अदद चाकू नजायज ।



